

FORM NO.3

फर्द अहकाम

(नियम 26)


राज अदालत सुडडीआ मुकाम सरयड  
बनाय बनाय बनाय  
 किरम मुकदमा 188-52A, 201 R/W/1 न 17 कैलाश


30.11.17	<p>पत्रावली पेश हुई श्री राजेश कुमार अग्रवाल एवं श्री कौशिक बोरस          श्रेय के लिये किया - रिपोर्ट करिहाल देवी गई। तदनु          र्तु रिजिस्टर होकर कोर्टिह सम्पन्न जाति है, सिविल          दिनांक 13.11.18 के पेश है।</p> <p style="text-align: right;">S.D.Sarwan</p>
25.11.18	<p>पत्रावली पेश हुई (कौशिक बोरस) दिनांक 13.11.18          के पेश है।</p> <p style="text-align: right;">S.D.Sarwan</p>
14.2.18	<p>पत्रावली पेश हुई (कौशिक बोरस) दिनांक 14.2.18          के पेश है।</p> <p style="text-align: right;">S.D.Sarwan</p>
15.3.18	<p>पत्रावली पेश हुई (कौशिक बोरस) दिनांक 15.3.18          के पेश है।</p> <p style="text-align: right;">S.D.Sarwan</p>
15.3.18	<p>पत्रावली पेश हुई (कौशिक बोरस) दिनांक 15.3.18          के पेश है।</p> <p style="text-align: right;">S.D.Sarwan</p>
16.4.18	<p>पत्रावली पेश हुई। न्याय आपके          द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व कम में राजीना          हेतु दिनांक <u>5.6.18</u> प्रां.प. <u>अजगरा</u>          को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अखण्ड अधिकारी <u>अजगरा</u></p>
5-6-18	<p>पत्रावली पेश हुई। कौशिक बोरस (उत्तरिवादी) के          खिलाफ पूर्व में एन्सपार्टी की जा-पुकी है। कौशिक बोरस          को सुना। संक्षेप में प्रकरण के तमम इल्ले प्रकार हैं कि          ग्राम अजगरा की जमाबंदी सेक्ट- 2070-73, के          खता सं. नया-पुराना 645-575, खसरा नं. 108          रकबा 1.19, हेक्टेयर, वं. 2 इस्लामुद्दीन बेवर पुत्र          मोहल सवतार कौम मुसलमान 1/2 हिस्सा, तथा देवराज          पुत्र बैनाय कौम बैरवा हिस्सा 1/2, के नाम दर्ज है।</p>


प्रतिवादीगण का भाराजी से कोई वास्ता सरोकार नहीं है किन्तु प्रतिवादीगण का खेत वादीगण के पडोस में है। उन्होंने 29.11.17 को बिना किसी एक अधिकार के कुम्हारखोदना शुरु कर दिया। अतः प्रतिवादीगण को जरिमे स्थानी निवेद्याशा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण को लम्बन जारी किया गये। किन्तु प्रतिवादीगण बावजूद सुचना गौर हाजिर रहे। अतः इनके खिलाफ एक्सपार्टी की ~~अर्ज~~ गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का भवभाविकन किया गया। वकील वादी की बहस पर गौर किया। विवादग्रस्त भाराजी वादवर्णित से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अतः प्रतिवादी सं. 1 लगायत डूबूदव जरिमे उसके परिवार के सदस्य एजेन्ट, भादि को स्थानी निवेद्याशा से पाबन्द फरवाने की वादपत्र का पैरा सं. 1 में वर्णित उक्त भूमि के वादीगण के कब्जेकाइत उपभोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पहुँचावे और न उक्त भूमि में बिना विधिवत् नाप हुये। वादीगण की भूमि में कोई बागिर या औरकैम आदि खोदे न किसी प्रकार से शक्ति पहुँचावे न प्रतिक्रमण करे। खर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन करे। डिक्ली पय्या जारी है।

- निर्णय भज में भागभजगारा में सुनाया गया।

  
सदस्य  
लोक अदालत  
सरवाड़

  
सदस्य  
लोक अदालत  
सरवाड़

  
अध्यक्ष  
लोक अदालत शिविर  
सरवाड़ (अजमेर)